न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी भावना राघव गूर्जर, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 150/2018 **दायरा दिनांक : 03.09.2018**

उनवान

हंसराज पुत्र मन्नाबन, जाति गुसाई, निवासी बालून्दा, तहसील मांगरोल, जिला बारां

.... अपीलांट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार मांगरोल, जिला बारां

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित – श्री बी. एल. जैन अभिभाषक अपीलांट की ओर से

पैरोकार सरकार रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय **दिनांक : 18.07.2019'**

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, मांगरोल के प्रकरण संख्या – 95/2017 निर्णय व डिक्री दिनांक 14.05.2018 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी अपीलांट ने रेस्पोडेंट प्रतिवादी के खिलाफ एक दावा अन्तर्गत

धारा 88, 89, 90, 91, 92, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम बालून्दा में हाल खसरा नम्बर 279 रकबा 12.78 हेक्टर आराजी स्थित है, जो वर्तमान राजस्व रेकार्ड में गैर मुमकिन खाल दर्ज है । इस भूमि में से 0.64 हेक्टर आराजी वादी के कब्जे में चली आ रही है । वादी एक भूमिहीन काश्तकार है व वादग्रस्त आराजी पर पिछले 30 वर्ष से अधिक समय से काबिज काश्त है तथा जुर्माना अदा कर रहा है । वादग्रस्त भूमि की किस्म पूर्व में बंजड थी किन्तु राजस्व कार्मिकों ने वादग्रस्त भूमि की किस्म बदलकर गैर मुमकिन खाल दर्ज कर दिया । वादी के पिता का नाम मन्नापुरी पुत्र चतरपुरी, जाति गुसाई है तथा वादी के पिता के खाते में मात्र 2.43 हेक्टर भूमि स्थित है तथा वादी के पिता सहित वादी सात भाई है । इसलिए वादी के पिता की भूमि के आठ हिस्से करने पर मात्र 2 से 3 बीघा आराजी आती है । अतः वादग्रस्त आराजी का नियम करने की सिफारिश के साथ नियमन कमेटी के समक्ष भिजवाया जावे तथा प्रतिवादी को जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि ताफैसला वाद प्रतिवादी विवादित भूमि से वादी को बेदखल नहीं करें । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट का वाद खारिज कर दिया जिससे अप्रसन्न होकर यह अपील पेश की गई है । अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री खिलाफ कानून होने से निरस्तनीय है । अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों, साक्ष्यों एवं दस्तावेजात का कानून के अनुसार विवेचन नहीं करने में त्रुटि की है । अपीलांट ग्राम बालून्दा की जिस भूमि पर काबिज काश्त है उसकी किस्म राजस्व कर्मचारियों ने बंजड की जगह खाल दर्ज कर दिया है जिसको बिना किसी आदेश से बजंड दर्ज किया जावे । पत्रावली में जो नकल खसरा परिवर्तनशील पेश हुई है उसमें वादग्रस्त आराजी की किस्म बजंड दर्ज है । अधीनस्थ न्यायालय ने कोई तनकी नहीं बनायी तथा कैम्प में वादी की अनुपस्थिति में निर्णय पारित कर दिया जो त्रुटिपूर्ण है । अपीलांट राजस्व रेकार्ड में भूमि को एडवर्स पजेशन के आधार पर खाते दर्ज करवाना चाहता है ।

निर्णय दिनांक 14.05.2018 की डिक्री अधीनस्थ न्यायालय ने नहीं बनायी है । अतः आदेश 20 नियम 6(क)(2) के तहत निर्णय के अंतिम पैरा को डिक्री मानकर अपील अपीलांट स्वीकार की जावे । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 14.05.2018 अपास्त किया जाये ।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 11.07.2018 को हुई । जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है । अतः विलम्ब का शमन किया जाये ।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । न्याय हित में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विलम्ब का शमन किया जाता है । अधीनस्थ न्यायालय ने किस्म परिवर्तन की तनकी नहीं बनायी है, जो कि बनाया जाना आवश्यक था। अतः अपील अपीलांट स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 14.05.2018 अपास्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में किस्म परिवर्तन की तनकी कायम कर प्रकरण में पुनः नये सिरे से विधि सम्मत निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 05.11.2019 को उपस्थित होवे ।

निर्णय आज दिनांक 18.07.2019 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भावना राघव गूर्जर)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा